

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

PREM SHANKAR

प्रेम शंकर

DY. FINANCE OFFICER

उप-वित्ताधिकारी

दूरभाष / Phone : + 91-7152-230906

फैक्स / Fax : + 91-7152-232946


मो. / Mob. : 91-9505043135

क्रमांक: 002/का.आ./25-2/2011/II

दिनांक 29.06.2011

परिपत्र

1. विश्वविद्यालय द्वारा शोधार्थियों को शोध कार्य हेतु समय-समय पर जारी की जाने वाली अग्रिम राशि प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्रानुसार विभागाध्यक्ष के द्वारा अग्रेषित कराकर संबंधित विभाग द्वारा विभागीय पत्रावली में प्रतिकुलपति के अनुमोदन के पश्चात वित्त विभाग में प्रस्तुत किया जायेगा।
2. शोधार्थियों को जारी की गई आकस्मिक राशि के समायोजन हेतु निर्धारित (संलग्न) प्रपत्रानुसार संपूर्ण विवरण को अपने विभागाध्यक्ष से अग्रेषित कराकर वित्त विभाग में प्रस्तुत करें।
3. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों/अधिकारियों/अध्यापकों द्वारा कार्यालयीय दौरे पर जाने के लिए अग्रिम प्राप्त करने हेतु दौरे कार्यक्रम का पूर्व अनुमोदन निर्धारित किए गए 'दौरे कार्यक्रम प्रपत्र' में लिया जाना आवश्यक है। उक्त प्रपत्रानुसार प्राप्त अनुमोदन के पश्चात अग्रिम प्राप्त किया जा सकता है।
यह पत्र कुलपति जी की सहमति से जारी किया गया है।


(प्रेम शंकर)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. प्रतिकुलपति कार्यालय।
3. कुलसचिव कार्यालय
4. समस्त विद्यापीठ/विभाग/अनुभाग।
5. समस्त सूचना पट्ट।
6. उभारी, लीबा (नि.वि. श्री वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

मि.आ.व.क-1102
06-07-2011